8 अप्रैल से 10 अप्रैल, 2015 तक आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित होने वाला सीपीए संसद और मीडिया विधि सम्मेलन

नई दिल्ली, 7 अप्रैल 2015: राष्ट्रमंडल संसदीय संघ विश्व बैंक संस्थान (डब्ल्यूबीआई) के सहयोग से 8 अप्रैल से 10 अप्रैल, 2015 तक आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ""संसद और मीडिया विधि सम्मेलन"" का आयोजन करने जा रहा है। आंध्र प्रदेश की सीपीए शाखा (आंध्र प्रदेश विधानमंडल) इस कार्यक्रम की मेजबानी करेगी।

लोक सभा की माननीय अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन बुधवार 8 अप्रैल, 2015 को नोवो□ल हो□ल, विशाखापत्तनम में सम्मेलन का उद्घा□न करेंगी। श्री एन. चन्द्र बाबू नायडू,माननीय मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश, श्री एम. वैंकैय्या नायडू, माननीय संसदीय कार्य मंत्री और डा. एम. तम्बिदुरै, माननीय उपाध्यक्ष, लोक सभा भी सम्मेलन के उद्घा□न सत्र में उपस्थित रहेंगे।

डा. के. शिवप्रसाद राव, अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश विधानसभा स्वागत भाषण देंगे। डा. ए. चक्रपाणि, सभापति, आंध्र प्रदेश विधान परिषद धन्यवाद ज्ञापन करेंगे।

सम्मेलन 8, 9 और 10 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। सभी 9 सीपीए क्षेत्रों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेंगे। श्रीमती मीनाक्षी लेखी, संसद सदस्य, लोक सभा भारत संघ की सीपीए शाखा से प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में भाग लेंगी और श्री प्रेमदास राय, संसद सदस्य, लोक सभा एवं भारत क्षेत्र से कार्यकारिणी समिति के सदस्य राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) का प्रतिनिधित्व करेंगे। सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की जाएगीः

(एक) राष्ट्रमंडल संसदीय संघ तथा संसद और मीडिया

(दो) चतुर्थ स्तम्भ के रूप में मीडिया की भूमिका

(तीन) संसद और मीडियाः विधिक ढ़ांचा

(चार) संसद और मीडियाः कार्यकारी समूह

(पांच) सामाजिक मीडियाः सामाजिक मीडिया संसद और संसदविदों पर कैसे प्रभाव डाला है ?

(छह) संसदीय सूचना तक पहुंच

(सात) पहुंच तथा सूचना के अधिकार का सिंहावलोकन

(आठ) जवाबदेही के साधन के रूप में मीडियाः राष्ट्रीय बजट चक्र में सहयोगी शासन व्यवस्था।

(नौ) महिलाओं के मुद्दे और मीडिया

(दस) "संसूचित/लोकतंत्र के लिए सिद्धांत - संसद और मीडिया" की पुनर्स्थापना

(ग्यारह) सम्मेलन के समापन वक्तव्य का निष्कर्ष और अंगीकरण